



2026:AHC-LKO:20772

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक पुनरीक्षण सं. - 754/2025

सुबोध कुमार बाजपेयी

....पुनरीक्षणकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ के माध्यम से और अन्य

... विरोधी पक्ष (गण)

पुनरीक्षणकर्ता (गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार पांडे, राम आलोक सिंह

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार द्विवेदी,
प्रशांत पांडेन्यायालय सं. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार पांडे, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत पांडे की दलीलें सुनी गईं।



2. यह आपराधिक पुनरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 439/443 के अंतर्गत) के अंतर्गत, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 18, लखनऊ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 159/2023 में दिनांक 07.03.2025 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस निर्णय और आदेश में, अपर न्यायालय संख्या 07, लखनऊ के पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवाद वाद संख्या 18838/2020 में दिनांक 30.05.2023 को पारित उस निर्णय और आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसके अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और उसे एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 14,000/- रुपये के जुर्माने का दण्डदेश सुनाया गया था, जिसमें व्यतिक्रम की स्थिति के लिए भी शर्त शामिल थी।

3. इससे पूर्व, दिनांक 01.09.2025 के आदेश के माध्यम से, पुनरीक्षणकर्ता का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और उसके दण्ड को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, दिनांक 18.09.2025 के आदेश द्वारा, इस विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित किया गया था।

4. इसी परिशीलन में, दिनांक 09.02.2026 को मध्यस्थता रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है और दिनांक 09.02.2026 को अपीलकर्ता तथा विरोधी पक्ष संख्या 2 के मध्य एक समझौता-ज्ञापन संपन्न हो गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, निम्नलिखित समझौता संपन्न हुआ है:-

यह समझौता ज्ञापन दिनांक 09.02.2026 को श्री सुबोध कुमार बाजपेयी पुत्र स्वर्गीय गोकर्णनाथ बाजपेयी, निवासी ई-3/11, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, पुलिस थाना आशियाना, जिला लखनऊ (प्रथम पक्ष) तथा श्री विनीत शुक्ला पुत्र स्वर्गीय बंशीधर शुक्ला, निवासी ई-1/606, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, पुलिस थाना आशियाना, जिला लखनऊ (द्वितीय पक्ष) के मध्य संपन्न हुआ।

क. यह कि प्रथम पक्ष ने भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है और द्वितीय पक्ष ने शिकायत वाद संख्या 18838/2020 पर क्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन-आशियाना, लखनऊ के संबंध में, प्रथम पक्ष के विरुद्ध द्वितीय पक्ष के सभी दावों के एकमुश्त पूर्ण और अंतिम निस्तारण के तौर पर, कुल 11,50,000/- रुपये (केवल ग्यारह लाख पचास हजार रुपये) की राशि प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।

ख. यह कि उपर्युक्त राशि 11,50,000/- रुपये (केवल ग्यारह लाख पचास हजार रुपये) में से, 3,93,000/- रुपये (केवल तीन लाख तिरानवे हजार रुपये) की राशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पहले ही भुगतान की जा चुकी है। द्वितीय पक्ष उक्त भुगतान राशि 3,93,000/- रुपये (केवल तीन लाख तिरानवे हजार रुपये) की प्राप्ति को स्वीकार करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ग. यह कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 754/2025 (सुबोध कुमार बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित माननीय न्यायालय के दिनांक 01.09.2025 और 15.09.2025 के आदेश के अनुपालन में, प्रथम पक्ष ने अपर न्यायालय संख्या 7 परक्राम्य लिखत अधिनियम, लखनऊ के समक्ष 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की राशि जमा कर दी है। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि यदि माननीय न्यायालय 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की राशि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में जारी करने का आदेश पारित करता है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। दोनों पक्षों ने आगे इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि यदि 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की राशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में जारी की जाती है, तो उस राशि को उपर्युक्त एकमुश्त पूर्ण और अंतिम निपटारे की राशि 11,50,000/- रुपये (केवल ग्यारह लाख पचास हजार रुपये) में समायोजित कर लिया जाएगा।

घ. यह कि शेष राशि 5,57,000/- रुपये (केवल पाँच लाख सत्तावन हजार रुपये) भी प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को आज, अर्थात् दिनांक 09.02.2026 को, 5,07,000/- रुपये (केवल पाँच लाख सात हजार रुपये) के तीन डिमांड ड्राफ्ट और 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) नकद के माध्यम से भुगतान कर दी गई है। द्वितीय पक्ष 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) नकद और तीनों डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की पुष्टि करता है। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण नीचे दिया गया है:-

(अ) डिमांड ड्राफ्ट. संख्या 446724 दिनांक 04.12.2025, राशि ₹2,07,000/- (केवल दो लाख सात हजार रुपये), बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर आहरित और विनीत शुक्ला के नाम पर जारी।

(ब) डिमांड ड्राफ्ट. संख्या 446729 दिनांक 15.12.2023, राशि ₹50,000/- (केवल पचास हजार रुपये), बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर आहरित और विनीत शुक्ला के नाम पर जारी।

(स) डिमांड ड्राफ्ट. संख्या 152784 दिनांक 16.01.2025, राशि ₹2,50,000/- (केवल दो लाख पचास हजार रुपये), बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर आहरित और विनीत शुक्ला के नाम पर जारी।

इ. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध तथा अपने-अपने परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दाखिल किए गए वादों को वापस ले लेंगे/आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इन वादों का निस्तारण इस समझौता-ज्ञापन की शर्तों के अनुसार करवाएंगे। इन वादों का विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) परिवाद वाद संख्या 18838/2020, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, पुलिस थाना आशियाना, लखनऊ, जिसका निर्णय अपर न्यायालय संख्या 7, परक्राम्य लिखत अधिनियम, लखनऊ द्वारा किया गया।



(ब) विविध वाद संख्या 1621/2025 निष्पादन हेतु, परिवाद वाद संख्या 18838/2020 के संबंध में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, पुलिस थाना आशियाना, लखनऊ, जिसका निर्णय अपर न्यायालय संख्या 7, परक्राम्य लिखत अधिनियम, लखनऊ द्वारा किया गया।

(स) आपराधिक अपील संख्या 159/2023, जिसका निर्णय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा किया गया।

(द) परिवाद वाद संख्या 3760/2025, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) और 175(3) के अंतर्गत, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ए.पी.) लखनऊ के समक्ष लंबित है।

च. द्वितीय पक्ष ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 754/2025 (सुबोध कुमार बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) का निर्णय इस समझौता-ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप किया जाता है, तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

छ. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उपर्युक्त वादों के अतिरिक्त, यदि वर्तमान विवाद के संबंध में दोनों पक्षों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के मध्य कोई अन्य

आपराधिक वाद लंबित है, तो दोनों पक्ष इस समझौता-जापन की शर्तों के अनुरूप उस वाद का भी निस्तारण करवाएंगे।

ज. दोनों पक्षों के मध्य इस बात पर भी सहमति बनी है कि भविष्य में, वर्तमान विवाद अथवा उससे संबंधित किसी भी अन्य विषय से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में, वे एक-दूसरे के विरुद्ध अथवा अपने-अपने परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध, आपराधिक अथवा दीवानी कार्यवाही के रूप में कोई भी नया वाद दाखिल नहीं करेंगे।

1. दोनों पक्ष इस समझौता-जापन के नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः और कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य होंगे। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन करने वाला पक्ष न्यायालय के साथ छल करने का दोषी माना जाएगा, और परिणामस्वरूप, वह न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा।

7. इस समझौता-जापन पर हस्ताक्षर करके, दोनों पक्ष यह घोषणा करते हैं कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 754/2025 (सुबोध बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) से संबंधित विषय के संबंध में, अब उनके एक-दूसरे के विरुद्ध कोई और दावे अथवा मांगें शेष नहीं हैं, तथा इस संबंध में उत्पन्न सभी विवादों एवं मतभेदों का समाधान दोनों पक्षों द्वारा 'सुलह/मध्यस्थता' की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से कर लिया गया है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद वाद संख्या 18838/2020 में दिनांक 30.05.2023 को पारित निर्णय और आदेश, तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक अपील संख्या 159/2023 में दिनांक 07.03.2025 को पारित अपीलीय निर्णय और आदेश, एतद्वारा अभिखण्डित किए जाते हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद वाद संख्या 18838/2020 भी अभिखण्डित किया जाता है, और दिनांक 09.02.2026 को पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर यह पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है; यह समझौता इस आदेश का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

23 मार्च 2026

केवीजी/-